

न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या- 9/22

सन् 2022

आरसीएमएस संख्या 2022/37

बउनवानी :-1. परसराम पुत्र माधो माली निवासी मुरली मनोहरपुरा तह. चौथ का बरवाडा जिला सोमा0
बनाम

1.सुरेश नारायण नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरुद्ध नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण संख्या 459/2022 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट उनवानी सरकार बनाम परसराम अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. ऐक्ट)

उपस्थित: 1. श्री उमा शंकर शर्मा
2. श्री तोफिक मोहम्मद (वकील)
3. श्री सुरेश नारायण बैरवा

वकील प्रार्थीगण
पैरोकार राजस्व
नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

-: निर्णय :-

दिनांक 25.2.2022

वकील प्रार्थी ने न्यायालय नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 459/2022 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट उनवानी सरकार बनाम परसराम के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि आराजी रकबा 267 बीघा 17 बिस्वा लक्ष्मीनारायण,जग्गा,बजरंगा,बाला,करणा,नारायण व भौमा आदि खातेदारों के कब्जे काशत की थी और एस.डी.ओ. का आदेश दिनांक 28.5.1956 से इन खातेदारों को बेदखल कर जगन्नाथ को इस आराजी का आवंटन किया किन्तु निगरानी मे माननीय राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 25.9.1957 से उपजिला कलेक्टर के दोनो आदेश दिनांक 21.5.1954 व 28.5.1956 को निरस्त कर दिया और जगन्नाथ ने इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जो वहाँ से भी खारिज हो गयी। अतः जगन्नाथ का इस आराजी पर कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 30.7.1971 से विवादित आराजी पर से जगन्नाथ को बेदखल कर खातेदार लक्ष्मीनारायण वगै. के पक्ष में रेस्टोर कर दिया जिसकी पालना में नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 को जगन्नाथ के स्थान पर लक्ष्मीनारायण वगै. के पक्ष में खोल दिया। नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 लक्ष्मीनारायण वगै. के पक्ष में तस्दीक किया गया था उसे माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.6.2008 को रेस्टोर कर सिवायचक का आदेश निरस्त कर दिया था किन्तु फिर भी नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की रोशनी मे उचित नहीं है। यह तर्क भी दिया कि नायब तहसीलदार ने जगन्नाथ के आदमियों से साझ कर ली है तथा साठगांठ करके दुभावनापूर्ण निर्णय देने व प्रार्थीगण को जैल भेजने की मंशा से गलत प्रकार से निर्णय करने पर उतारू है चूंकि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के विरुद्ध प्रार्थी ने श्रीमान के जरिये वकील उमाशंकर एडवोकेट से शिकायत कर दी है इस कारण रंजिश से नायब तहसीलदार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। यह तर्क भी दिया कि धारा 91 के नोटिस दिनांक 12.1.2022 के नोटिस के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3265/2022 दिनांक 21.2.2022 को गायत्री देवी बनाम राजस्थान राज्य दायर की गयी है जिसमे दिनांक 25.2.2022 को नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के नोटिस की क्रियान्विति दिनांक 31.3.2022 तक स्थगित की गयी है। यह तर्क भी दिया कि नामा0 संख्या 11 को रेस्टोर किये जाने के उपरान्त भी राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नहीं करने पर माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना दिनांक 27.2.2020 को पेश की गयी थी। अपने कथन के समर्थन में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.2.2022, 30.6.2008, 12.1.1985 एनओसी 12-13, राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 13.5.2009 एवं सीसीपी/1121/2020 इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की जाकर तहसीलदार चौथ का बरवाडा मे विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

.....(1).....

विद्वान पैरोकार राजस्व एव नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दौराने बहस टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 मे खाता संख्या 1 किता 47 रकबा 43.65 है0 सिवाचयक सिलिंग व खाता संख्या 3 किता 38 रकबा 24.20 है0 खातेदारी के रूप मे दर्ज है। इस विवाधित आराजियात के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ मे डी.बी. सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 2512/2011 व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 1661/2011 विचाराधीन है जिसमे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था जो निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3 में अंकित तथ्यों से उच्चाधिकारियों व सरकार को भ्रमित कर रहा है। विवादित आराजियात के संबंध मे तर्क दिया कि विवादित आराजियात कुल किता 46 कुल रकबा 267 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रिकार्ड मे जगन्नाथ पुत्र सीताराम ब्राहामण निवासी शिवाड की खातेदारी में अंकित थी। इसलिए सिलिंग एक्ट के प्रावधानो के अनुसार सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश द्वारा उक्त खातेदार मात्र 30 एकड भूमि ही रखने के लिए अधिकृत होने के कारण शेष 49 एकड भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली। उक्त आदेश के विरुद्ध लक्ष्मीनारायण पुत्र लालू ने उज्रदारी प्रस्तुत की थी जो दिनांक 31.12.1976 को खारिज कर दी गयी थी जिसके विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जो दिनांक 31.10.1977 को खारिज कर दी गयी। उक्त दोनो राजस्व न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसको माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 19.3.1985 को खारिज कर दी गयी।

यह तर्क भी दिया कि उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण एवं अन्य का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं था किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त खातेदार जगन्नाथ की 46 किता भूमि रकबा 267 बीघा 17 बिस्वा का नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 याचिगण व अन्य के नाम तस्दीक कर दिया जो तथ्यों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध था इस कारण उक्त नामा0 को निरस्त करवाने हेतु उपजिला कलेक्टर ने राजस्व नियम,1982 के प्रावधानों के तहत प्रकरण संख्या 119/1992 अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दोनो पक्षों को विधिवत नोटिस जारी कर तलब कर सुनवायी का अवसर देते हुए अपने आदेश दिनांक 23.12.1993 के द्वारा यह माना था कि नामा0 संख्या 11 विधि विरुद्ध तस्दीक किया गया है। खातेदार जगन्नाथ की भूमि जिस आदेश से सिलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित की गयी थी उस आदेश को सभी न्यायालयों ने बहाल रखते हुए सिलिंग एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही को उचित मानते हुए उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 को निरस्त करवाने हेतु राजस्व मण्डल को रैफर किया जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर अपने आदेश दिनांक 18.10.1999 के द्वारा उक्त रैफरेन्स को स्वीकार कर लिया तथा नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 को निरस्त कर दिया। किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.6.2008 द्वारा उक्त नामा0 संख्या 11 को रिस्टोर किये जाने के आदेश दिये गये है जिसके विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट संख्या 2512/2011) व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट नम्बर 1661/2011) की गयी जो वर्तमान मे जैरकार है तथा उक्त दोनो रिट में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.2015 से माननीय न्यायालय द्वारा 3 सप्ताह तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था जो निरन्तर चला आ रहा है। किन्तु ग्राम बन्धगोपालपुरा के खाता संख्या 1 के ख0न0 163 करबा 0.50 है जो सिवाचयक सिलिंग के रूप मे दर्ज है पर अतिक्रमणी परसराम पुत्र माधो माली द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के स्थगन आदेश की अवहेलना की गयी है जिसके विरुद्ध धारा 91 की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपने पदेन कर्तव्य के तहत तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पेश की जाने पर लेण्ड होल्डर होने के कारण तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा माननीय न्यायालय के यथास्थिति के आदेश की पालना करवाने हेतु प्रतिबद्ध होने के कारण अतिक्रमण में के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 459/2022 दर्ज कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। यह तर्क भी दिया कि विवादित आराजी को वकील उमांशकर व उसके परिवार के लोगो द्वारा 30 वर्ष पूर्व खरीदना अतिक्रमी द्वारा बताया गया है जिसका कोई रजिस्टर्ड आधार अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित आराजियात उमांशकर एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है ओर ना ही दस्तावेज के अनुसार उनका कब्जा काश्त है।

.....(2).....

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 9/22 उनवानी परसराम बनाम नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा)

यह तर्क भी दिया कि स्वयं उमाशंकर के पिता स्व० श्री गंगाशंकर शर्मा द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहाँ अपने परिवार के सदस्यों के नाम से दफा 151 जा.दी. के तहत कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 10.6.2016 व 16.11.2016 को खारिज कर दिया गया था। इसलिए अतिक्रमी द्वारा वकील उमाशंकर व उसके परिवार के सदस्यों के कहने पर काशत करने की बात कहना आधारहीन एवं उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने हेतु की गयी है। यह तर्क भी दिया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 1 के अनुसार ख०न० 163 रकबा 0.50 है० सिवाचयक सिलिंग भूमि है ना कि खातेदारी भूमि है। इस कारण अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गयी है। यह तर्क भी दिया धारा 91 की कार्यवाही रोकने हेतु न्यायालय की पत्रावलियों को उच्च कोर्ट में ले जाकर फसल काट कर ले जाने की फिराक में रहते हैं पूर्व में भी न्यायालय की पत्रावलियों को उच्च कोर्ट में ले जाकर अतिक्रमी फसल काटकर ले गये हैं। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर उगी हुई फसल को काटने की फिराक में है इसलिए दिनांक 2.2.2022 को उक्त भूमि को कब्जेराज ले लिया गया है। प्रार्थी द्वारा सम्वत् 2076 में की गयी 91 की कार्यवाही के विरुद्ध भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर के न्यायालय को अन्तरित करवाकर फसल का लाभ लिया है जिसमें राजस्व की हानी हुई है तथा उक्त प्रकरणों के पैराज भी बकाया चल रहे हैं। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा ग्राम मुरली मनोहरपुरा की भूमि जो सिलिंग में अधिग्रहित की गयी थी जिसके क्रम में नामा० संख्या 11 को खारिज करवाने बाबत प्रस्तुत रैफरेन्स दिनांक 18.10.1999 को राजस्व मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाकर नामा० संख्या 11 को निरस्त किया गया है। किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1692/2001 जगदीश बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 30.6.2008 के द्वारा उक्त नामा० संख्या 11 को रिस्टोर किया है जिसके विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट संख्या 2512/2011) व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट नम्बर 1661/2011) की गयी जो वर्तमान में जैरकार है तथा उक्त दोनो रिट में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.2015 से 3 सप्ताह तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था जो निरन्तर चला आ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि रिट पिटिशन संख्या 1692/2001 में प्रार्थी पक्षकार नहीं है जहाँ तक नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 12.1.2022 को जारी धारा 91 के नोटिस की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.2.2022 से स्थगित किये जाने का प्रश्न है तो उक्त स्थगन आदेश इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र की कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। चूंकि मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित भूमि वर्तमान में सिवाचयक दर्ज है एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.2.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए विधिवत कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर